भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3763

11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान योजना के अंतर्गत सत्यापन

3763. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार के महाराजगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में सभी पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो लाभार्थियों की संख्या सहित इसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त निर्वाचन क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को योजना से बाहर रखने, किस्तों को जारी करने में विलंब, आधार प्रमाणीकरण के मुद्दों या भू-अभिलेखों से संबंधित विसंगतियों के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं:

(घ) यदि हां, तो प्राप्त, समाधान की गई और लंबित ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी है और इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का बिहार के महाराजगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत सभी पात्र किसानों को शामिल किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष नामांकन/सत्यापन अभियान चलाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, सेवा वितरण को अधिक कुशल तथा पारदर्शी बनाने हेतु, समय के साथ, पात्र लाभार्थियों की लैंड-सीडिंग, आधार लिंकिंग तथा ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है। योजना के तहत लाभार्थी के तौर पर पात्र होने और लाभ पाने के लिए किसानों द्वारा अनिवार्य शर्तों को पूरा किया जाना और उनका सत्यापित होना ज़रूरी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लाभार्थियों का नामांकन करने तथा उनके डेटा का सत्यापन एवं जाँच करने हेतु अधिदेशित किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चिन्हित एवं सत्यापित लाभार्थियों के आधार पर फंड्स जारी किए जाते हैं। महाराजगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित बिहार राज्य में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसके परिणामस्वरूप इस निर्वाचन क्षेत्र में पात्र किसानों को योजना के

लाभ वितरित किए जाते हैं। बिहार के सारण एवं सिवान जिलों में लाभान्वित लाभार्थियों तथा 23वीं किस्त में जारी की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

जिला	**लाभान्वित लाभार्थी**	**जारी की गई राशि (₹ करोड़)**
सारण	4,83,908	96.78
सिवान	3,74,988	75.00

(ग) और (घ): किसानों की शिकायतों के निवारण हेतु पीएम-किसान योजना के अंतर्गत एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। किसान, पीएम-किसान पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जहाँ संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के संबंधित अधिकारियों द्वारा उनकी शीघ्र जाँच कर उनका निवारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, किसान सीपीग्राम्स पोर्टल के माध्यम से भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, तथा ऐसी शिकायतों पर समयबद्ध कार्यवाही और निवारण किया जाता है। योजना के प्रारंभ से अब तक, सारण जिले में पीएम-किसान पोर्टल पर 6,151 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से सभी का निवारण किया जा चुका है तथा सिवान जिले में पीएम-किसान पोर्टल पर 2,751 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 2,749 का निवारण किया जा चुका है।

(ङ): इस बात को सुनिश्चित करने हेतु कि कोई भी पात्र किसान छूटने न पाए, भारत सरकार बिहार सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय स्थापित कर सैचुरेशन अभियान चलाती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) के अंतर्गत 15 नवंबर, 2023 से एक बड़ा राष्ट्रव्यापी सैचुरेशन अभियान चलाया गया, जिसके दौरान पीएम-किसान के अंतर्गत 01 करोड़ से अधिक किसानों को सम्मिलित किया गया, जिसमें बिहार के 3,44,180 किसान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार की वर्ष 2024 की 100-दिवसीय पहल के अंतर्गत, पीएम-किसान योजना में 25 लाख से अधिक पात्र किसान जोड़े गए, जिसमें बिहार के 25,099 किसान शामिल हैं। लंबित स्व-पंजीकरण संबंधी मामलों का निपटान करने हेतु सितंबर 2024 में एक विशेष अभियान भी चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 30 लाख से अधिक नए किसान जोड़े गए, जिसमें बिहार के 33,614 किसान शामिल हैं। पात्र किसानों के दायरे का विस्तार करने हेतु "खेत बचाओ अभियान" के साथ पीएम-किसान के अंतर्गत 01 जून, 2026 से एक राष्ट्रव्यापी सैचुरेशन अभियान भी चलाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप बिहार में 58,556 किसानों सहित लगभग 17 लाख नए किसान जोड़े गए हैं। इसके अतिरिक्त, बिहार सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, योजना के अंतर्गत सभी अनिवार्य शर्तें पूर्ण करने वाले पात्र किसानों की पहचान तथा नामांकन की सुविधा हेतु समय-समय पर सैचुरेशन अभियान भी चलाते हैं।
